# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

## पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

**G.C.M.S. No : 2026/13**

अपील संख्या 10/2026 तारीख रजू 16.01.2026

मुखलेश पुत्र रामनाथ मीना निवासी ग्राम बडौद, तहसील खण्डार

––– अपीलान्ट

**बनाम**

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार, जिला सवाई माधोपुर ––– रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री हरिमोहन जाट एडवोकेट – अपीलाण्ट की ओर से

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट की ओर से

**निर्णय** दिनांक 21.04.2026

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 112/2025 मे पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बडौद के आराजी खसरा नम्बर 570/1 रकबा 1.10 बीघा किस्म गै.मु.तलाई पर संवत 2082 फसल खरीफ मे अनाधिकृत रूप से मकान मय बाडा कब्जा फसल काश्त/कब्जा कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तीन माह (90 दिवस) के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील दिनांक 18.09.2025 विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने निरस्त होने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई एवं सबूत का कोई अवसर नहीं दिया। अपीलाण्ट धारा 91(3) लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के नोटिस की विधिवत तामील न होते हुये भी उचित तामील मानकर एवं अपीलाण्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है। यह कि ग्राम बडौद में स्थित भूमि ख0नं0 570/1 रकबा 1.10 बीघा किस्म गै.मु. तलाई संवत 2082 में अतिक्रमण नहीं किया है और न ही वर्तमान में इस भूमि पर अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण है। अपीलाण्ट्स के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बिल्कुल मिथ्या व अवास्तविक दी है। अपीलार्थी का उक्त आराजीयात पर ना तो कोई बाडा बनाकर कब्जा नहीं कर रखा है। अपीलार्थी को बिना सुने हल्का पटवारी ने रिपोर्ट दी है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य का उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ही अपना निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का के नियमानुसार [illegible] दर्ज नहीं किये है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जांच हेतु [illegible] पूछताछ नहीं की है। जिससे वास्तविकता का पता नहीं चल पाता। यह कि अधीनस्थ [illegible] ने अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:57 IST
Reason: SelfAttested

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

होना मानकर भी अहम कानूनी भूल की है जबकि उक्त भूमि पर संवत 2082 में अथवा उससे पूर्व कभी भी अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलाण्ट्स को इस भूमि से पूर्व में अतिक्रमी मानते हुये मौके पर कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। जिससे की पूर्व का अतिक्रमण साबित हो सके। अपीलाण्ट को पूर्व में मौके से बेदखल किये जाने एवं अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लेना कतई साबित नहीं है। इस प्रकार अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानकर एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के नियमों की कतई पालना नहीं की है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर तामील हुई है। बावजूद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि **अपीलान्ट का विवादित आराजी पर वर्तमान में कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही अपीलान्ट भविष्य में कब्जा काश्त करेगा अपीलाण्ट ने अपना कब्जा छोड दिया है**, इसलिए अपील अपीलान्ट सजा की हद तक स्वीकार किया जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा/कब्जा–काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:57 IST
Reason: SelfAttested